

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

५९

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर - 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल aao1.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प2 (क)/अलेसे । लिंक न. 4780 / 5755

दिनांक :- 20/03/2025

कार्यालय आदेश

25/03/25

श्री ओमप्रकाश उपाध्याय [लिंक नं. 4780] सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - प्रथम कार्यालय उप निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, दौसा जिनकी जन्म तिथि 01/09/1966 है, ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 16/05/2025 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु अनुरोध किया है।

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996, के नियम 50 (1) के अन्तर्गत इन्हें दिनांक 16/05/2025 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत की जाती है।

श्री ओमप्रकाश उपाध्याय की राजकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 05/11/1990 है।

वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 12(6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री ओमप्रकाश उपाध्याय के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अंतर्गत कोई विभागीय जांच विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 19 के अंतर्गत कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/ लम्बित नहीं हैं।


भूपेश माथुर

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :- प2 (क)/अलेसे । लिंक न. 4780 / 5755

दिनांक :- 20/03/2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

25/03/25

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग राजस्थान जयपुर
2. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग
3. उप निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, दौसा
4. कोषाधिकारी दौसा
5. श्री ओमप्रकाश उपाध्याय [4780] सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - प्रथम कार्यालय उप निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, दौसा
6. निजी सचिव, निदेशक
7. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली / पदस्थापन सीट / वरिष्ठता सीट


के.जी. गुप्ता

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक I)